

371/3.2017m

संख्या-33/XXXV-4/2017-2(69 पे0)/17

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग-4

देहरादून दिनांक : 27 अक्टूबर, 2017

विषय :- मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग हेतु की गयी घोषणा संख्या-232/2017 के क्रियान्वयन के लिए टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत रू0 183.76 लाख की धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 847/XXVII (1)/2016 दिनांक 26.07.2016 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा जनपद देहरादून के डोईवाला में दिनांक-16.7.2017 को की गयी घोषणा सं0 232/2017 (अपर एवं लोअर नकरौंदा में नलकूप निर्माण एवं पाइप लाइन बदलने का कार्य किया जायेगा।) के कम में नलकूप निर्माण एवं पाइप लाइन बदलने के कार्य हेतु उत्तराखण्ड जल संस्थान देहरादून द्वारा प्रस्तुत आगणन के सापेक्ष विभागीय टी0ए0सी0, द्वारा संस्तुत धनराशि रू0 183.76 लाख पर वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए रू0 183.76 लाख (रू0 एक करोड़ तिरासी लाख छिहत्तर हजार मात्र) की धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में निम्नलिखित प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन आपके (जिलाधिकारी-देहरादून-4217) निर्वर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. सर्वप्रथम सम्बन्धित प्र0वि0 द्वारा चयनित कार्यदायी संस्था के साथ वित्त विभाग के शासनादेश सं0 475/XXVII (7)/2008 दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित किया जायेगा तथा अपने स्तर पर कार्यों का अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।
2. जिलाधिकारी योजनान्तर्गत प्राप्त धनराशि का वित्तीय नियमों के अधीन लेखांकन (Cash Booking आदि) अपने स्तर पर रखेंगे।
3. जिलाधिकारी योजनाओं की प्रत्येक तीन माह की प्रगति आख्या मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय घोषणा अनुभाग को उपलब्ध करायेंगे।
4. योजनान्तर्गत प्राप्त राशि के उपयोग का उपयोगिता प्रमाणपत्र जिलाधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा।
5. उक्त धनराशि रू0 183.76 लाख (रू0 एक करोड़ तिरासी लाख छिहत्तर हजार मात्र) जिलाधिकारी द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अधीन कार्यदायी संस्था को तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी।
6. विभागीय स्तर पर कार्य की प्रगति की निरंतर एवं गहन समीक्षा करते हुए कार्य को निर्धारित समय सारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा विलम्ब या अन्य किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणन पर विचार नहीं किया जायेगा। समय से कार्य पूर्ण न होने के दृष्टिगत लागत बृद्धि होने पर पुनरीक्षित आगणन प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में समस्त उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था एवं सम्बन्धित तकनीकी अधिकारियों का होगा।
7. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
8. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किशतों में किया जायेगा।
9. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या:-400/xxvii(1) /2015 दिनांक: 1अप्रैल, 2015 में इंगित शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10. व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदर्शों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11. स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।
12. विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

13. उक्तानुसार आवंटित धनराशि को तत्काल कार्यदायी संस्था/आहरण वितरण अधिकारी को अवमुक्त कर दी जाय, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हों।
14. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।
15. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
16. कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली-भाँति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप कार्य कराया जाय।
17. मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30 मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।
18. निर्माण कार्यों में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
19. सभी निर्माण कार्य समय-समय पर गुणवत्ता एवं मानको के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेंगे।
20. कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।
21. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से आवश्यक करा लिया जाए तथा विशिष्टियों के अनुरूप ही प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त सामग्री का प्रयोग उपयोग में लायी जाए।
22. उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से करा लिया गया है, तो उक्त स्वीकृत कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।
23. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले **Construction Agreement** में एक वर्ष का **Defect Liability Period** तथा 3 वर्ष तक अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी।
24. उक्त कार्य के आंगणन पर अग्रेत्तर कार्यवाही करने से पूर्व प्रशासकीय विभाग यह भी सुनिश्चित कर लें कि यदि शासनादेश संख्या-571/XXVII(1)/2010, दिनांक 19.10.2010 के दिशा-निर्देशों के क्रम में उक्त कार्य हेतु प्रथम चरण के कार्य की स्वीकृति प्रदान की गयी है, तो प्रथम चरण के अन्तर्गत स्वीकृत समस्त कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त यदि प्रथम चरण के अन्तर्गत स्वीकृत राशि में बचत है तो उसे द्वितीय चरण के आंगणन में समायोजित कर लिया जाय।
25. स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31-3-2017 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्यों का कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा। टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि के स्वीकृत की जा रही धनराशि से कम होने की दशा में अवशेष धनराशि को तत्काल समर्पित कर दिया जायेगा।

2 इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-3 के अन्तर्गत लेखापीर्शक 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 60-अन्य भवन, 800-अन्य व्यय, 02-मा0 मुख्यमंत्री की घोषणाओं आदि हेतु एकमुश्त अनुदान, 24-वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अशा0सं0:-151 मतदेय XXVII(5)/2017 दिनांक: 30 अक्टूबर 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।


भवदीय,

अमित सिंह नेगी)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: 73/XXXV-4/2017-2 (69 पे0)/17 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी गढ़वाल उत्तराखण्ड।
3. प्रमुख सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
7. उपसचिव (लेखा), आहरण-वितरण अधिकारी, मुख्यमंत्री कार्यालय, उत्तराखण्ड शासन।
8. महाप्रबन्धक उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
9. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून उत्तराखण्ड।
10. वित्त अनुभाग-5/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सचिवालय।
11. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवार्य, 23-लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
12. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(सुधीर कुमार चौधरी)
अनु सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20172018

Secretary, CM Ghoshna (Grants) (9007)

आवंटन पत्र संख्या - 02(69)2017

अलोटमेंट आई डी - H1711032115

अनुदान संख्या - 003

आवंटन पत्र दिनांक -27-Nov-2017


DDO Name - District Magistrate (For Grants)Dehradun (4183) , Treasury - Dehradun (0100)

1: लेखा शीर्षक 4059 - लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय 60 - अन्य भवन
800 - अन्य व्यय
02 - मा0 मुख्यमंत्री की घोषणाओं आदि हेतु एकमुश्त अनुदान
00 - k

			Voted
मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
24 - बृहत् निर्माण कार्य	80582000	18376000	98958000
	80582000	18376000	98958000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes -

18376000


27/11/17
(शुशीर कुमार चौधरी)
अनु सचिव,
मुख्यमंत्री कार्यालय
देहरादून शासन